# न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत
## पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. श्री दिनेश कुमार संघवी पुत्र श्री मणीलालजी संघवी, जाति जैन, निवासी मानपुर तहसील आबूरोड के कायम मुकाम<br>1/1 श्रीमती लता संघवी पत्नी स्व. श्री दिनेश कुमार जाति जैन, निवासी मानपुर तहसील आबूरोड<br>1/2 श्री अंकुर संघवी पुत्र स्व. श्री दिनेश कुमार जाति जैन, निवासी मानपुर तहसील आबूरोड<br>1/3 निकीता संघवी पुत्र स्व. श्री दिनेश कुमार जाति जैन, निवासी मानपुर तहसील आबूरोड<br>2. श्री संजय कुमार संघवी पुत्र श्री मणीलालजी संघवी, जाति जैन, निवासी मानपुर तहसील आबूरोड | | 1. श्री जयन्त भाई पुत्र शिवलाल, जाति पटेल, निवासी आर.जे. हाउस सोफिया स्कूल के पास, आबूपर्वत<br>2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 8/2018**

**दिनांक30–09–2020**

## निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा **प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि :–**

मौजा ग्राम ओरिया पटवार हल्का ओरिया तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 900 एवं 901 की भूमि जो उक्त कृषि भूमि का पटटा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु तहसीलदार आबूरोड द्वारा पट्टा नम्बर राज/भूमि/ रूपा/92/209–12 दिनांक 17.02.1992 के द्वारा कुल आराजी 12772.46 वर्गमीटर का जारी किया हुआ है उसमें से प्रार्थीगण की कुल 10800 वर्गफुट भूमि प्रार्थीगण के जरिये दिनांक 24.04.2002 के खरीद शुदा एवं कब्जे मालिकी की है। प्रार्थीगण की पद संख्या 01 में वर्णित वाणिज्यिक भूमि में से 10800 वर्गफुट मालिकी व कब्जे की है एवं उक्त वाणिज्यिक भूमि पर आने जाने हेतु एवं उक्त आराजी के समीप खसरा संख्या 1019 की राजस्व आराजी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं प्रार्थी का उक्त वाणिज्यिक भूखण्ड पर उसी रास्ते से आना जाना है एवं उक्त रास्ते पर प्रार्थीगण का काफी पुराना कब्जा है एवं उसी रास्ते को प्रार्थी अपने वाणिज्य भूखण्ड पर आने जाने एवं साधन संसाधन लाने व ले जाने के रूप में काफी लम्बे समय से उपयोग में लेता रहा है एवं उक्त रास्ते को ही उक्त भूखण्ड पर जाने हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त वाणिज्यिक भूखण्ड पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 1019 के पूर्व दिशा की ओर से अपने वाणिज्य भूमि पर आने जाने एवं साधन संसाधन, सामान को ले जाने हेतु वाहनों के आवागमन द्वारा उपयोग में लेता रहा है एवं वर्तमान में करीबन 15 फीट चौडाई में विद्यमान है एवं उक्त रास्ता काफी लम्बे समय से विद्यमान है एवं उपयोग में लिया जा रहा है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने एवं प्रार्थीगण की वाणिज्य भूमि पर आने जाने हेतु कोई राजस्व रास्ता विद्यमान नहीं है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 01 उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर देना चाहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी वाणिज्यिक भूमि में आने जाने उपयोग व उपभोग करने के लिए उक्त रास्ते की अति आवश्यकता है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जो तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी संख्या एक बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक्स पार्टी का आदेश पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:57:47 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या दो ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी अनुसार प्रश्नगत भूमि संयुक्त आबादी भूमि है। खसरा नंबर 901 की भूमि मुख्य सड़क से लगती हुई। मौके पर खसरा नंबर 1019 से होकर उक्त भूमि तक मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। इसके अलावा अन्य राजकीय भूमि खसरा नंबर 847 व 1018 से होकर भी रास्ता वादी की भूमि तक जाता है। अतः रास्ता दिया जाना उचित नही होने से अवगत कराया है।

हमने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत खसरा नंबर 901 मुख्य सड़क से लगता हुआ है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत केवल एक भू–धारक ही इस धारा का संरक्षण या लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा_251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा_251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गौरव सैनी ) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:57:47 IST
Reason: SelfAttested